

यूजेवीएन लिमिटेड

U J V N Limited

(A Government of Uttarakhand Enterprise)

कारपोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय
Corporate & Regd. Office

"उज्ज्वल" महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248 006
"Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248 006
दूरभाष-0135-2763508 फैक्स सं० 0135-2763507
Phone- 0135-2763508, Fax-0135-2763507

मानव संसाधन विभाग

Human Resources Department

"यमुना भवन" यमुना कालोनी, देहरादून-248 001
"Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248 001
दूरभाष- 2530584 / 2531343 / 2530909 फैक्स सं० 0135-2531646
Phone- 2530584/22531343/ 2530909, Fax-0135-2531646

संख्या -5389 -यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु०-1/ए-6

दिनांक: जून, 19, 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यूजेवीएन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

दिनांक 01, जनवरी, 2006 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक निगमादेश संख्या -1932 दिनांक 02, मार्च, 2009 एवं संख्या-2487 दिनांक 21-3-2009 सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या -11266- यूजेवीएनलि/ 05/कार्मिक/अनु०-1/ए-6 दिनांक 25-11-2014, जिसके अनुसार दिनांक 01, जुलाई, 2014 से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य थी, के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-91-xxvii (7) 02/2010 दिनांक 08-06-2015 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें यूजेवीएनलि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01-01-2015 से 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- 2- मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउंड कर दिया जायेगा ।
- 3- उक्त देय मंहगाई राहत का भुगतान यूजेवीएन लि० के संबंधित पेंशन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-449 दिनांक 09-03-2004 की अनुरूपता में संबंधित कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा । जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी०पी०ओ० कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके हैं उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 4- मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-5389 (1)यूजेवीएनलि/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लि०, देहरादून ।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि०, देहरादून ।
- 3- निदेशक(परियोजनाएं)/ (परिचालन)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लि०, देहरादून ।
- 4- अधिशासी निदेशक(जानपद)/ (वित्त)/ (वि०/यांत्रिक)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लि०, देहरादून ।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून ।
- 6- समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि० ।
- 7- समस्त उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि० ।
- 8- उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लि०, देहरादून को निगम की वेबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएन लि० ।
- 10- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि०, देहरादून ।
- 11- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 84/1, बंसत विहार, देहरादून ।
- 12- उत्तरांचल विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, हरबर्टपुर ।

24/6/15
S/m/c/r

File No. 483 / DUMG.1. JUMM
File Mark. N-2
Date 24/6/2015

19.6.15
(एस० के० चोपड़ा)
अधिशासी निदेशक (मा०सं०)

ABEDD/JBEDD